

**मांग संख्या 7**  
**मुख्य शीर्ष 2030**

**मद क्रमांक 1**

जिला प्रभार के अंतर्गत अधिकारियों/ कर्मचारियों के वेतन भत्ते आदि के लिये ` 3.50 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 3,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मुख्य शीर्ष 2039**

**मद क्रमांक 2**

विभागीय मदिरा दुकानों के संचालन के अंतर्गत अधिकारियों/ कर्मचारियों के वेतन भत्ते आदि के लिये ` 3.92 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 3,92,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मुख्य शीर्ष 2040**

**मद क्रमांक 3**

मुख्यालय स्थापना व्यय के अंतर्गत अधिकारियों/ कर्मचारियों के वेतन भत्ते के लिये ` 54.60 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 54,60,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।